रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240647 CG-DL-E-29112022-240647

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5306] No. 5306] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2022/अग्रहायण 8, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022/AGRAHAYANA 8, 1944

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

> > अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

सं. 45 / 2015-2020

विषयः एचएस कोड 1006 40 00 के तहत नई नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ. 5538(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची—2 के अध्याय 10 के आईटीसी (एचएस) कोड 1006 40 00 के तहत नई नीतिगत शर्त को निम्नानुसार शामिल करती है:

आईटीसी	विवरण	निर्यात नीति	नई नीतिगत शर्त
(एचएस) कोड			
1006	ऑरगेनिक गैर-बासमती टूटे	प्रतिबंधित	तथापि, ऑरगेनिक गैर-बासमती टूटे हुऐ
	हुए चावल (आईटीसी		चावल सहित ऑरगेनिक गैर-बासमती चावल का
	एचएस 1006 40 00)		निर्यात दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना
			संख्या 03 / 2015—2020 के तहत प्रावधानों के
			अनुसार अभिशासित होगा।

7924 GI/2022 (1)

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

ऑरगेनिक गैर—बासमती टूटे हुऐ चावल सहित ऑरगेनिक गैर—बासमती चावल का निर्यात दिनांक 19 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 03 / 2015—2020 के तहत प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होगा।

> [फा. सं. 01/91/171/010/एएम—23ईसी/ई—33294] संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2022

No. 45/2015-2020

Subject: - Incorporation of new policy condition against HS Code 1006 40 00.

S.O. 5538(E).—The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, hereby incorporates new Policy condition against ITC (HS) code 1006 40 00 of Chapter 10 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

ITC HS Codes	Description	Export Policy	New Policy Condition
1006	Organic Non-Basmati Broken Rice (ITC HS Code 1006 40 00)		However, export of Organic Non-basmati rice, including Organic Non-basmati broken rice, will be governed as per provisions under Notification No. 03/2015-2020 dated 19 th April, 2017.

2. **Effect of this Notification:**

Export of Organic Non-basmati rice, including Organic Non-basmati broken rice, will be governed as per provisions under Notification No.03/2015-2020 dated 19th April, 2017.

[F. No. 01/91/171/010/AM23EC/e-33294)

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.